

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार मलिक
रादरय संघिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

सेवा में

संघिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2, सुमदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग / 2159-65 / 2019-20

दिनांक: ०३/०८/२०१९

विषय: ए०वी०पी०इण्टरनेशनल स्कूल सिंधौली जी०टी०रोड० अलीगढ़, को री०वी०एस०ई०.नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध।

महोदय

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/157-9(299)/2007 दिनांक-14.07.2009, द्वारा गठित मण्डलीय समिति की वैठक दिनांक-31.07.2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को री०वी०एस०ई०.नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिवन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

- 1-विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-रागय पर नवीनकरण कराया जायेगा।
- 2-संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुगम्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 3-कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुगम्य सेवानिवृत्ति का लाभ कराये जायेंगे।
- 4-विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रथान अनुसूचित जाति / जनजाति के गेंधारी वच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक से शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 5-शुल्क की मद एवं धनराशि के रामबन्ध में "उत्तर प्रदेश खावित खवतंत्र विद्यालय (शुल्क पिनियम) 2018" का अनुपालन किया जायेगा।
- 6-राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, सरकार उनका पालन करेगी।
- 7-उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वान्मोदन के दिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 8-विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9-विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 10-संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता रौन्टर वोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली / कौरिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एकजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होते ही, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान खत: समाप्त हो जायेगा।

11-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश करना अनिवार्य होगा।

12-संरक्षा की वार्षिक आय-व्यय का रुपी०५० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।

13-स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उक्त प्रतिवन्धों का पालन करना संरक्षा के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संरक्षा द्वारा उक्त प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूंकि या शिथिलता वर्ती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)
रादर्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
रांयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

पृष्ठोंकन संख्या एवं तिथि यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

2-जिलाधिकारी, अलीगढ़ की सेवा में सूचनार्थ एवं शासनादेश संख्या-228 / 15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31 जनवरी 2019 के कम में प्रमाणीकरण की कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

3-संयुक्त सचिव(शिक्षा-7 अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4-शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5-जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ को इस आदेश के साथ कि शासनादेश संख्या-228 / 15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31.01.2019 के अनुपालन में प्रमाणीकरण की कार्यवाही करें।

✓6-प्रबन्धक./प्रधानाचार्या ए०वी०पी०इंटरनेशनल स्कूल रिंगौली जी०टी०रोड० अलीगढ़। १९
०३०८

(जितेन्द्र कुमार मलिक)
रादर्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
रांयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।